



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06102023-249215
CG-DL-E-06102023-249215

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4203]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 6, 2023/आश्विन 14, 1945

No. 4203]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 6, 2023/ASVINA 14, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर, 2023

का.आ. 4374(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार उक्त खंड के प्रयोजनार्थ, 'डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली', (PAN AAAJD0821E), केंद्र सरकार द्वारा गठित एक निकाय, को उस निकाय से उत्पन्न होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, अर्थातः

- (क) शुल्क और अंशदान
- (ख) रॉयल्टी और प्रकाशनों से आय
- (ग) सरकार से अनुदान और सब्सिडी;
- (घ) बैंक से ब्याज आय।

2. यह अधिसूचना निम्न शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि 'डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली'—

- (क) किसी वाणिज्यिक कार्यकलाप में शामिल नहीं होगी;
- (ख) कार्यकलापों और विशिष्ट आय की प्रकृति समस्त वित्तीय वर्षों के दौरान अपरिवर्तित रहेगी; और
- (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (4ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी फाइल की जाएगी।

3. यह अधिसूचना निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए लागू मानी जाएगी और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए संगत होगी।

[अधिसूचना सं. 87/2023 फा. सं. 300196/39/2022-आईटीए-1]

विकास सिंह, निदेशक (आईटीए-1)

स्पष्टीकरण ज्ञापन

प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।